प्रेस विज्ञप्ति

23.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने माननीय विशेष एमएसजे कोर्ट, नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से तत्काल ऋण देने के व्यवसाय में शामिल कई एनबीएफसी, फिनटेक कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है और माननीय न्यायालय ने 22.08.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने तेलंगाना राज्य के साइबराबाद और राचकोंडा के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा 2020-21 में विभिन्न फिनटेक कंपनियों और एनबीएफसी से जुड़े विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन और मोबाइल नंबरों के खिलाफ दर्ज 43 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि विभिन्न फिनटेक कंपनियों ने अपने फंड का इस्तेमाल किया और मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए अत्यधिक दरों पर और बहुत अधिक प्रोसेसिंग फीस वसूल कर अल्पावधि ऋण देने के लिए बंद/निष्क्रिय/गैर-निष्पादित एनबीएफसी के साथ समझौते किए। मोबाइल लोन ऐप्स ने लोन मंजूर करते समय उधारकर्ताओं के निजी डेटा जैसे इमेज, मैसेज और संपर्क विवरण तक पहुंच बना ली। फिर इस डेटा का दुरुपयोग उधारकर्ताओं को ऋण चुकाने के लिए मजबूर करने के लिए किया गया। उधारकर्ताओं को अन्य संबंधित लोन ऐप्स के जरिए उच्च ब्याज दरों पर ऋण की पेशकश भी की गई ताकि वे अपने मौजूदा ऋण चुका सकें, जिसके परिणामस्वरूप उधारकर्ता कर्ज के जाल में फंस गए। उत्पीड़न और जबरन वसूली ने कई उधारकर्ताओं को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया।

ईडी ने इससे पहले विभिन्न फिनटेक कंपनियों और एनबीएफसी की 346.86 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के पांच अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए थे। इन कुर्कियों और फ्रीजिंग आदेशों की पुष्टि पीएमएलए के न्यायनिर्णन प्राधिकारी द्वारा की गई है।

आगे की जांच जारी है।